पंकज दीक्षित,भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता,किशनगंज द्वारा दिनांक–09.05.2017 को विभिन्न प्रशाखाओं का आंशिक निरीक्षण /निदेश।

---

1. **अभिलेखागार**:: अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्वाह्न 11:30 बजे जिला अभिलेखागार कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कम में पूर्व में किये गये निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन की खोज की गयी जिसे प्रधान लिपिक द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी,अभिलेखागार को पूर्व निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निदेशों का अनुपालन दिनांक 09.06.2017 तक निश्चित रूप से करने तथा अभिलेखागार में सी.सी.टी.भी कैमरा की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

   निरीक्षण के कम में न्यू रिकॉर्ड मैन्युल के तहत अभिरक्षित अभिलेखों का अनुक्रमणिका एवं स्कैनिंग कराने के लिए प्रभारी पदाधिकारी,अभिलेखागार को निदेशित किया गया। उक्त कार्य के लिए आई.टी.मैनेजर, श्री अशोक कुमार दास, प्रधान लिपिक,अभिलेखागार ,श्री जय नारायण राम,प्रधान लिपिक,जिला राजस्व प्रशाखा , श्री भोला प्रसाद,प्रधान लिपिक एवं श्री मनोज कुमार,उ.व.लिपिक,जिला स्थापना की टीम से सम्पूर्ण कार्य करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि गठित टीम को कार्य के दौरान अभिलेखागार,जिला राजस्व एवं जिला स्थापना की सभी कर्मियों का भी सहयोग लिया जाय। इसी कम में जिला नजारत उप समाहर्त्ता,किशनगंज को भी निदेशित किया गया कि अपने पर्यवेक्षण /निरीक्षण में वर्णित सभी कार्यों के सम्पादन में उपस्कर आदि की व्यवस्था ससमय करेंगे।

   निरीक्षण के कम में प्रधान लिपिक को यह भी निदेशित किया गया जो भी आवेदन आयेंगे (चिरकुट) आर.टी.पी.एस. काउण्टर पर रिसिव किये जायेंगे तथा विधिवत आवेदकों को नकल उपलब्ध कराने के लिए दूरभाष पर भी सूचित करेंगे।यह सभी कार्य आर.टी.पी.एस. काउण्टर के कर्मी ही उक्त कार्य करेंगे।प्रधान लिपिक को अभिलेखागार में सारी प्रकिया विधिवत संचालित करने का निदेश दिया गया।

2. **जिला स्थापना**:: जिला स्थापना प्रशाखा के निरीक्षण के कम में प्रधान लिपिक,स्थापना को निदेशित किया गया कि तीन दिनों के अन्दर सभी कार्यालयों /शाखाओं में मुवमेंट पंजी विहित प्रपत्र में संधारित कराकर प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे! मूवमेंट रजिस्टर का मुख्य पृष्ठ (कवर) ब्लू करने का निदेश दिया जिससे कि आसानी से पहचाना जा सके।

3. **निर्वाचन**:: निरीक्षण के कम में कार्यालय कोरिडोर / ट्रंक में जो भी अनावश्यक कागजात रखे गये हैं उसका इन्डेक्सिंग कर सुरक्षित रखने एवं अनावश्यक कागजात को विहित प्रक्रिया के तहत निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे।

4. **सामान्य प्रशाखा**::सामान्य प्रशाखा के निरीक्षण के कम में नई नियमावली के तहत ससमय गजट तैयार करने हेतु सख्त निदेश दिया गया।

5. **जिला कल्याण**::अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला कल्याण कार्यालय के निरीक्षण के कम में जिला कल्याण पदाधिकारी,किशनगंज अनुपस्थित पाये गये ! इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी का वेतन स्थगित करते हुए कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

ह०/-
(पंकज कुमार,भा.प्र.से.)
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज ।

ज्ञापांक......838...../ जिला गो., दिनांक......09/05......../2017

प्रतिलिपि ::सभी संबंधित शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि::जिला नजारत उप समाहर्त्ता,किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि::अपर समाहर्त्ता,किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

IT manager, for necessary action.

09/05/17
(पंकज कुमार,भा.प्र.से.)
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।